Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 011-23364197
E-mail : mplads@nic.in

सत्यमेव जयते

फा. सं. सी-42/16/2011-एमपीलैड्स

Dated दिनांक 23 अगस्त, 2013

सेवा में,

1. आयुक्त कोलकाता/चेन्नै/दिल्ली नगर निगम
2. सभी जिला कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषयः एमपीलैड्स के अन्तर्गत सरकारी स्कूलों के लिए फर्नीचर की खरीद ।

महोदय,

एमपीलैड्स के दिशा-निर्देशों के अनुबंध-II-ए में पैरा 6.1 को दिनांक 3 जुलाई 2013 के समसंख्यक परिपत्र द्वारा शामिल किया गया था । पैरा 6.1 में निम्नलिखित प्रावधान हैः

"6.1 जब कभी कोई संसद सदस्य सरकारी अस्पताल तथा शैक्षिक संस्थाओं के निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय के लिए एक नए प्रस्ताव की सिफारिश करता है, वह सचल मदों (जैसे फर्नीचर, उपस्कर तथा गैर उपभोग्य वस्तुएं) की सिफारिश कर सकता है । प्रस्ताव मुख्य रूप से पूंजीगत कार्यों के लिए किए जाने चाहिए तथा संबद्ध मदों (फर्नीचर, उपस्कर इत्यादि) पर किया जाने वाला व्यय कुल लागत के 10% से अधिक न हो ।

"विद्यमान सरकारी अस्पताल तथा शैक्षिक संस्थाओं के लिए सचल मदें जैसे फर्नीचर उपस्कर इत्यादि की खरीद के लिए सिफारिशें नहीं की जा सकती ।"

2. एमपीलैड्स के अन्तर्गत स्कूलों को फर्नीचर की सप्लाई की मांग के संबंध में समय-समय पर अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

3. क्षेत्र में स्कूलों के लिए फर्नीचर की आवश्यकता वास्तविक रूप से महसूस की गई एक जरूरी आवश्यकता है । यह आवश्यकता प्राइमरी तथा माध्यमिक स्कूलों के लिए अति महत्वपूर्ण है, जहां युवा बच्चे अध्ययन करते हैं । सरकारी स्कूलों के साथ-साथ सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों दोनों के लिए यह एक समान आवश्यकता है ।

4. अतः यह निर्णय लिया गया कि कुछ शर्तों/सावधानियों के साथ माध्यमिक स्कूलों के स्तर तक एमपीलैड्स के अन्तर्गत फर्नीचर उपलब्ध कराया जाए ।

5. तदनुसार, एमपीलैड्स के दिशा-निर्देशों के अनुबंध-II-ए के पैरा 6.1 में उप पैरा "वर्तमान सरकारी अस्पताल तथा शैक्षिक संस्थानों के लिए फर्नीचर, उपस्कर इत्यादि जैसी सचल वस्तुओं की खरीद के लिए सिफारिशें नहीं की जा सकती ।" को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है;

"केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों तथा स्थानीय निकायों से संबंधित प्राइमरी तथा माध्यमिक स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अलावा वर्तमान सरकारी अस्पतालों तथा शैक्षिक संस्थाओं के लिए सचल मदें जैसे फर्नीचर, उपस्कर इत्यादि की खरीद के लिए सिफारिशें नहीं की जा सकती ।

एमपीलैड्स निधियों से एक संसद सदस्य द्वारा केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों तथा स्थानीय निकायों से संबंधित प्राइमरी तथा माध्यमिक स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए एक वर्ष में 50 लाख रु. तक के फर्नीचर की खरीद के लिए सिफारिश की जा सकती है । कोई स्कूल विशेष अपने जीवन काल में अधिकतम 10 लाख रु. तक की खरीद का पात्र होगा ।

एमपीलैड्स के अंतर्गत प्रदत फर्नीचर पर स्कूल का नाम, खरीद का वर्ष तथा क्रम सं. अंकित होना अनिवार्य होगा । यह खरीद राज्य सरकार द्वारा लागू नियमों तथा प्रक्रियाओं के अधीन होगी । राज्य शिक्षा विभाग का संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी फर्नीचर की मात्रा, गुणवत्ता तथा लागत के औचित्य को प्रमाणित करेगा तथा जिला प्राधिकारी को अपना प्रमाणीकरण उपलब्ध कराएगा । इस प्रकार प्राप्त किए गए फर्नीचर की प्रविष्टि स्कूल के स्टॉक रजिस्टर में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा की जाएगी । फर्नीचर की देखभाल करना संबंधित स्कूल का उत्तरदायित्व होगा ।"

6. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,

23/8/13

(डी. साईबाबा)
निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. एमपीलैड्स से संबंधित सचिव, नोडल विभाग (सभी राज्य/संघ राज्य) ।
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्यसभा समिति, राज्य सभा, सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा, सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित ।
6. एनआईसी, एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए ।

प्रतिलिपि इनको भीः

1. वित्त मंत्रालय,
2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय
3. अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, सां. एवं कार्य.कार्या. मंत्रा., कृषि भवन